

31/03/17

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

विज्ञप्ति - वास्तु लेखन सामग्री स्टेशनरी कय व फार्मों की छपाई एवं
कम्प्यूटर अनुरक्षण व कम्प्यूटर स्टेशनरी कय

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय-वर्ष 2017-18 (दि 01.04.2017 से दि 31.03.2018 तक) के लिए लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी कय व फार्मों कापियर मशीन आदिवा ई स्टूडियो 256, 207 एवं 212 से सम्बन्धित टोनर कय करने हेतु दि 22.06.2017 को 04.00 बजे तक प्रतिष्ठित कम्पनी के सील्ड बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन राय 4.00 बजे कय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि रु 5,000.00 नज्दस्त अगुमाय में जमा करनी होगी, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी। सामग्रियों का विवरण व टेण्डर के नियम व शर्त नज्दस्त अगुमाय व जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एन0आई0सी0 एवं इस अधिष्ठान की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

(विजेन्द्र कुमार शौकत)

सदस्य,

कय एवं वित्त समिति,

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश न्यायालय रा02

बाराबंकी।

(भानुदेव शर्मा)

सदस्य,

कय एवं वित्त समिति /

प्रधान न्यायाधीश, फौजदारी कोर्ट,

बाराबंकी।

(जय शंकर मिश्र)

अध्यक्ष,

कय एवं वित्त समिति /

विशेष न्यायाधीश,

एस0सी0 / एस0टी0 एकट,

बाराबंकी।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।


1. न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
2. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. जिलाधिकारी / एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु,
- जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पां करने हेतु।
 1. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
 2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
 3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
 4. कार्यालय मुख्य नोकिल्ला अधिकारी बाराबंकी।
 5. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बाराबंकी।
 6. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करने हेतु।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।--

टेण्डर आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें--

1. समस्त सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म को पुस्तकालय/नजारत अनुभाग, जज्जी बाराबंकी में स्वयं अपने स्वयं पर करनी होगी।
2. भूगतान माननीय उच्च न्यायालय से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
3. आवेदक को टेण्डर के साथ सामग्री का मूल्य, उनके ब्राण्ड का नाम, नमूने यदि ब्राण्ड कई प्रकार के हैं तो सभी प्रकार के नमूने एवं उन सभी का मूल्य (समस्त कर सहित) अंकित कर संलग्न करना होगा।
4. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज, बाराबंकी में निहित है, इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, बाराबंकी बाध्य नहीं होंगे।
5. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।
6. फर्म का पंजीकरण ट्रेड टैक्स में होना अनिवार्य है।


(ब्रिजेन्द्र कुमार श्रिवस्तव)
सदस्य,
कय एवं वित्त समिति/
अपर जिला एवं सच
न्यायाधीश न्यायालय 102,
बाराबंकी।


(भानुदेव शर्मा)
सदस्य,
कय एवं वित्त समिति/
प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट,
बाराबंकी।


(जय शंकर मिश्र)
अध्यक्ष,
कय एवं वित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
एस10सी0/एस10टी0 एकट,
बाराबंकी।